



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042022-234772
CG-DL-E-01042022-234772

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1480]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2022/चैत्र 10, 1944

No. 1480]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2022/CHAITRA 10, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च 2022

का.आ. 1532(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 06 अप्रैल, 2021 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1449 (अ), तारीख 31 मार्च, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के गौतमबुद्धनगर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के निष्पादन, रख-रखाव, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, "अमर उजाला" और "दैनिक जागरण" में तारीख 10 अप्रैल, 2021 को प्रकाशित किया गया था;

और, विहित अवधि में सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में प्राप्त आक्षेपों के नियमानुसार निस्तारण के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित कर दिये गये हैं:

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के गौतमबुद्धनगर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला— गौतमबुद्धनगर

क्र० सं०	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	खसरा संख्या	अर्जन के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे० में)	भू-स्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	दादरी	चमरावली बोडाकी	निजी	कृषि	287	0.1206	धर्मपाल पुत्र मेडू नि० ग्राम
			निजी	कृषि	288	0.1332	कर्मवीर व राजवीर व सतवीर पुत्रगण सन्तराम व शान्ति देवी पत्नी संतराम नि० ग्राम
2	दादरी	पल्ला	निजी	कृषि	270	0.0432	बिशम्बर व अजब सिंह पुत्र भूले , हीरालाल पुत्र लाखा, कैलाशचन्द व जय सिंह व विजय सिंह पुत्रगण रतनलाल, राजेन्द्र सिंह पुत्र तेजपाल, सूबे सिंह पुत्र रघुवर सिंह, ज्ञानचन्द व वीर सिंह व रफल सिंह व दलवीर भाटी पुत्रगण हरस्वरूप, ब्रह्मपाल व अवनपाल पुत्रगण रोशन, खजानी पत्नी रोशन, जगवीर सिंह उर्फ जग्गो व जयवीर व जयप्रकाश पुत्र हीरे उर्फ हीरालाल, श्रीमती राजवती पत्नी हीरे उर्फ हीरालाल नि० ग्राम व रितिका व माही व जैबिन्द्र ना०बा० आयु कमश 9,7,4 पुत्रिया व पुत्र रामनिवास संरक्षिका माता स्वयं उषा, उषा पत्नी स्व० रामनिवास, सोनू व मोनू व अमित पुत्रगण लच्छी सिंह व संगीता पुत्री लच्छी सिंह नि० ग्राम व राजवती पत्नी हीरालाल नि० ग्राम व ग्रेटर नोएडा औ०वि०प्रा० व श्रीमती रकमेश पत्नी रामकुमार नि० ग्राम सुधीर भाटी पुत्र रामकुमार व दीपक भाटी पुत्र रामकुमार
			निजी	कृषि	271	0.1170	राजवीर पुत्र छुट्टन , कृष्णपाल व ज्ञानेन्द्र व इन्दर व रविन्द्र पुत्रगण घनश्याम , ब्रजपाल पुत्र बेगराज , महेश व विजेन्द्र पुत्रगण श्रीचन्द उर्फ श्रीया, श्रीमती राजपाली पत्नी श्रीचन्द उर्फ श्रीया, विश्वास व हरीश व नवीन कुमार पुत्रगण सुभाष, श्रीमती मैमवती पत्नी सुभाष, सन्तरा पत्नी दयाराम , कपिल पुत्र दयाराम , फतह सिंह व ब्रजपाल व सतीश पुत्रगण बेगराज नि० ग्राम
			निजी	कृषि	368	0.1080	कृष्णपाल व इन्दर व रविन्द्र पुत्रगण घनश्याम व ब्रजपाल पुत्र बेगराज व महेश व विजेन्द्र व राजपाली पुत्रगण व पत्नी श्रीचन्द उर्फ श्रीया व विश्वास व हरीश व नवीन व मैमवती पुत्रगण व पत्नी सुभाष व सुनीता पत्नी रमेश व उर्मिला पत्नी महेशचन्द व सन्तरा पत्नी दयाराम व कपिल पुत्र दयाराम नि० ग्राम

[फा. सं. 2022/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2292]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु.)

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2022

S.O. 1532(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O.1449 (E), dated the 31st March, 2021, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th April, 2021 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Gautam Budh Nagar in the State of Uttar Pradesh;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely, “Amar Ujala” and “Dainik Jagran” dated the 10th April, 2021 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, the objections received in the office of Competent Authority in prescribed period have been addressed by the Competent Authority as per rules and accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Gautam Budh Nagar in the State of Uttar Pradesh.

District: Gautam Budh Nagar

Sr. No.	Name of Tehsil	Name of Village	Type of Land	Nature of Land	Plot No.	Area (in hect.)	Name of Owners/Holders
1	Dadri	Chamraw ali Bodaki	Private	Agriculture	287	0.1206	Dharmpal s/o Medu R/o Village.
			Private	Agriculture	288	0.1332	Karamveer, Rajveer, Satveer s/o Santram, Smt. Shanti Devi w/o Santram R/o Village.
2	Dadri	Palla	Private	Agriculture	270	0.0432	Vishambhar , Ajab Singh s/o Bhule, Hiralal s/o Lakha, Kailashchand, JaiSingh , Vijay Singh s/o Ratanlal, Rajendersingh s/o Tejpal, SubeSingh s/o RaghuveerSingh, Gyanchand, VeerSingh , Rafal Singh, Dalveer Bhati s/o Harswaroop, Brhampal, Awanpal s/o Roshan, Smt.Khajani w/o Roshan, Jagveer Singh urf Jaggo, Jaiveer Singh , Jaiprakash s/o Hire urf Hiralal, Smt.Rajwati w/o Hire urf Hiralal, Ritika, Mahi, Jabinder minor 9,7 and 4 yrs. c/o mother Usha w/o Lt. Ramniwas, Sonu, Monu, Amit s/o Lachhi Singh, Sangeeta d/o Lachhi Singh, Rajwati w/o Hiralal , GNIDA, Smt. Rakmesh w/o RamKumar, ,SudheerBhati , Deepak Bhati s/o Ramkumar R/o Village.

			Private	Agriculture	271	0.1170	Rajveer s/o Chuttan, Krishanpal, Gyanendra, Inder, Ravinder s/o Ghanshyam, Brijpal s/o Begraj, Mahesh, Vijender s/o Shreechand urf Shriya, Smt. Rajpali w/o Shreechand urf Shriya, Vishwash, Harish, Naveen s/o Subhash, Smt. Memwati w/o Lt. Subhash, Santra w/o Dayaram, Kapil s/o Dayaram, FatehSingh, Brijpal, Satish s/o Lt. Begraj R/o Village.
			Private	Agriculture	368	0.1080	Krishanpal, Inder, Ravinder s/o Ghanshyam, Brijpal s/o Begraj, Mahesh, Bijender s/o Shreechand urf Shriya, Smt. Rajpali w/o Shreechand urf Shriya, Vishwash, Harish, Naveen s/o Subhash, Smt. Memwati w/o Lt. Subhash, Smt. Sunitadevi w/o Ramesh, Smt. Urmiladevi w/o Maheshchand Bhati, Santra w/o Lt. Dayaram, Kapil s/o Dayaram R/o Village.

[F. No. 2022/LML-II/12/2/EC/ 2292]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (L&A)